

# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

### चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

#### द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 10.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अरूप चटर्जी स०वि०स०	<p>धनबाद जिला के निरसा प्रखण्डार्वत्तगत मुगमा क्षेत्र के ओम बेस्टको प्रा०लि० कम्पनी द्वारा दो हजार करोड़ रुपया का निवेश करने की योजना है परन्तु यह उद्योग अपने निर्माणाधीन अवस्था के ही असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार उत्पन्न किये जा रहे विभिन्न विवाद के कारण अन्य राज्य में स्थानांतरित होने को है, जबकि एक तरफ राज्य में सरकार द्वारा उद्योगों को पूर्ण सुरक्षा हेतु आश्वस्त किया जा रहा है।</p> <p>अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यानआकृष्ट करना चाहता हूँ कि, अविलम्ब उक्त विषय पर समुचित कार्रवाई किया जाय।</p>	उद्योग
02-	श्री फुलचंद मंडल स०वि०स०	<p>धनबाद नगर निगम क्षेत्र “वार्ड संख्या 55” में शामिल रांगामाठी (राजाबस्ती) मौजा नं०-१७५ के एक दर्जन से अधिक गाँवों का विकास धनबाद जिला में नगर निगम गठन होने के पश्चात् आज तक नहीं हो पाया है तथा उक्त अनु०जा० व अनु०जन० जाति बहुल गाँवों के अत्यंत ही गरीब परिवार के लोग कृषि एवं मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।</p>	नगर विकास

01.	02.	03.	04.
		<p>रांगामाटी अन्तर्गत विभिन्न गाँवों को निगम मुक्त कर पंचायत में शामिल किया जाने से यहाँ के ग्रामीणों को पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न सुविधाओं, यथा ग्रामीण दर पर बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी।</p> <p>अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय के समाधान हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	
03-	श्री राज सिन्हा स०वि०स०	<p>धनबाद जिलान्तर्गत पुटकी में दामोदर नदी पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल द्वाया पुल का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसकी प्रावक्कलित राशि चार करोड़ की थी। इसके संवेदक श्री राणा उदय प्रताप सिंह द्वारा दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। कार्यपालक अधूरे कार्य को बीच में रोक दिया गया। कार्यपालक अभियंता का कहना है कि एप्रोच रोड नहीं होने के कारण संवेदक को कार्य मुक्त कर दिया गया है। जनहित की भावना के प्रति यह घोर लापरवाही है। उल्लेखनीय है कि हर दिन सैकड़ों बाईक सवार और पैदल यात्री पुटकी के इस रास्ते से जोकारों और धनबाद आते जाते हैं तथा पुल बन जाने से मार्ग की दूरी 30 किमी कम हो जाएगी। विभाग ने काम बंद करने का जो तर्क दिया है उससे स्थानीय जनता सहमत नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि यह घोर लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का मामला है।</p> <p>अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ। सरकार यथाशीघ्र इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाये तथा अधूरे पुल निर्माण कार्य को पूर्ण करें।</p>	ग्रामीण विकास
04-	श्री संजीव सिंह एवं श्री बिरंची नारायण स०वि०स०	<p>धनबाद नगर निगम क्षेत्र में वैसे 27 राजस्व गाँवों को जोड़ दिया गया है जो अत्यन्त ही पिछड़ा तथा विकास से कोशों दुर है। नगर निगम में जोड़े जाने से वहाँ के नागरिकों को अतिरिक्त राजस्व देना पड़ रहा है जिसे देने में वहाँ के ग्रामीण अक्षम है।</p>	नगर विकास

01.	02.	03.	04.
05-	श्री राजकुमार यादव स०वि०स०	<p>झारखण्ड के अलग-अलग जिलों से आदिवासी छात्रों गृह को हाईकोर नक्सली घोषित करके और नौकरी का लालच देकर आत्मसमर्पण के रूप में दिखाया गया था। 514 छात्रों के साथ अन्याय किया गया है और न्याय के लिए भटक रहा है।</p> <p>इस मामले में कई बड़े चेहरे सामने आए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों को चरित्र-प्रभाण पत्र भी नहीं मिल रहा है। तत्कालीन सरकार ने मामले की सी०बी०आई० जाँच की अनुशंसा की थी सी०बी०आई० ने अब तक इस मामले जाँच की नहीं दी है सहमति।</p> <p>यह मामले में क्या हुआ है, सरकार इन छात्रों को तक न्याय देगी ?</p>	

राँची  
दिनांक- 10 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-०२/२०१५-.....८२९...वि० स०, राँची, दिनांक- ०९/३/१५  
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/उद्योग विभाग/ नगर विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ एवं गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

छोटेलाल दुड़ू  
(छोटेलाल दुड़ू)  
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची झाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-०२/२०१५-.....८२९...वि० स०, राँची, दिनांक- ०९/३/१५  
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अली०३/१५  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

अली०३/१५